



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com, Contact No. 7017836228

पत्रांक:-आर०एम०पी०य०/१०१२/२०२२

दिनांक:-/८/०५/२०२२

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव
आनन्दी देवी ऑफ हायर एजूकेशन,
हाथरस

**विषय:- प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं पद पर चयन हेतु विषय-विशेषज्ञ नामित किये जाने विषयक।
महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 02.05.2022 के सन्दर्भ में सूचित करने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलपति जी ने महाविद्यालय में रिक्त एवं विज्ञापित प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के पद पर चयन हेतु शिक्षा संकायान्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम शिक्षा के परिपेक्ष्य, जीव विज्ञान, गणित, भाषा, समाज विज्ञान, ललित कलायें, संगीत/नृत्य विषयों प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं हेतु निम्नलिखित विशेषज्ञों को नामित किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान की है।

1. पदनाम/विषय

प्राचार्य/प्रवक्ताओं हेतु

विशेषज्ञों का नाम एवं पता

शिक्षा संकायान्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम शिक्षा के परिपेक्ष्य, जीव विज्ञान, गणित, भाषा, समाज विज्ञान, ललित कलायें, संगीत/नृत्य विषयों हेतु।

1 शिक्षा के परिपेक्ष्य,

1. प्र० सुशमा पाण्डेय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, 8858733844
2. प्र० शोभा गौड़, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, 7905595400

2 जीव विज्ञान,

1. डा० भीरा सिंह, धर्म समाज कालेज, अलीगढ़।
2. डा० वीरेन्द्र कुमार, धर्म समाज कालेज, अलीगढ़।

3 गणित, भाषा, समाज विज्ञान, ललित कलायें, संगीत/नृत्य

1. डा० पुनीत कुमार सिंह, धर्म समाज कालेज, अलीगढ़।
2. डा० ब्रजरानी शर्मा, श्री टीका राम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़।
2. कृपया नामित विशेषज्ञों से सम्पर्क कर चयन समिति आहूत करने का कष्ट करें।
3. (क) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं पद पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत होगा।

1. प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित प्रबन्ध समिति का कोई एक सदस्य
2. महाविद्यालय का प्राचार्य
3. सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष
4. कुलपति जी द्वारा दो नाम निर्देशित, जिसमें एक सम्बन्धित विषय का विशेषज्ञ हो
5. दो विषय विशेषज्ञ, जो महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो, कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित पॉच विशेषज्ञों के पैनल में से अध्यक्ष प्रबन्ध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

— अध्यक्ष
— सदस्य
— सदस्य
— सदस्य
— सदस्य

नोट:- यदि महाविद्यालय में कोई प्राचार्य अथवा शिक्षक न हो तो शेष सदस्यों से चयन समिति का गठन हो जायेगा।

4. चयन समिति की बैठक के उपरान्त चयन समिति की संस्तुतियों को महाविद्यालय की प्रबन्ध के सम्मुख प्रस्तुत कर उसकी सहमति/संस्तुति लेना अनिवार्य होगा।

5. विश्वविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रपत्र/अभिलेख विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।

1. विज्ञापित पदों के विज्ञापन की मूल प्रति एवं महाविद्यालय को प्राप्त सम्बद्धता सम्बंधी पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के अनुमोदन का फोटो कॉपी।

[Signature]



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com, Contact No. 7017836228

3. चयन समिति की वैठक का कार्यवृत्त/संस्तुति पत्र, जिसमें चयनित व प्रतीक्षा सूची सहित, चयन समिति का अभ्यर्थियों के साथ छायाचित्र।
4. चयन समिति की संस्तुतियों पर महाविद्यालय की प्रवन्ध समिति की वैठक की कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
5. चयन समिति द्वारा संस्तुत प्राचार्य का रु 10/- के दो पृथक रटाएप्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र (फोटोग्राफ सहित)।
6. चयनित अभ्यर्थी का मूल आवेदन-पत्र सभी शैक्षिक अभिलेखों की अंकतालिकाओं एवं प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
7. चयनित प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुभव प्रमाणपत्र, पूर्व महाविद्यालय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं उनके पूर्व विश्वविद्यालय का अनुमोदन पत्र संलग्न किया जाये।
8. अध्यक्ष के उपरिथित न होने की स्थिति में नामिती का पत्र।
9. विभागाध्यक्ष यदि होतो, प्रमाणित अभिलेख/अनुमोदन पत्र की प्रति।
10. विशेषज्ञों का उपर्युक्त पैनल एक माह के लिए वैध होगा तथा इसका उपयोग सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष ही किया जायेगा।
11. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के पदों पर चयन का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के उपरान्त ही शिक्षक को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे।
12. चयन समिति प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं की नियुक्ति उत्तर-प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-377 / सत्तर-1-2013-16(114) / 2010 दिनांक 03.12.2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
13. महाविद्यालय प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि इनका अनुमोदन अन्य महाविद्यालय में तो नहीं है, जिससे शिक्षकों की पुनरावृत्ति न हो सके।
14. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के चयन की कार्यवाही को विश्वविद्यालय में सम्पन्न कराया जायेगा।
15. माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं के चयन की वैठक हेतु विश्वविद्यालय रु0 5000/-खाता सं0 1489100100000866 IFSC Code- PUNB0148910, पंजाब नेशनल बैंक, खेड़, अलीगढ़ में जमा होगा।
16. चयन समिति के गठन हेतु कुलपति जी के दोनो नाम निर्देशित तथा पॉच विशेषज्ञों में से किन्ही दो विषय-विशेषज्ञों का होना अनिवार्य है।
17. महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दशा में विषय-विशेषज्ञों द्वारा प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के अनुमोदन के पश्चात पत्रावली एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय में प्रेषित करें।

मवदीय